रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 48 ● अंक – 10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2026 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शीर्ष संस्थानों में है बेचैनी

IDC की नज़र अब कालेजों और संस्थानों पर

मानक के अनुसार कौन क्या पढ़ा रहा है? पढ़ाई हो भी रही है या फिर .....

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से

कहीं खेला तो नहीं हो रहा है

"जो जिस विधा का चिकित्सक है उसे उसी विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार है।"

यदि वह उसके विरुद्ध कार्य करता है तो उस चिकित्सक का यह कार्य अवैधानिक की श्रेणी में आता है और एक तरह से यह अपराध माना जाता है, यह बात हर चिकित्सक भली–भाँति जानता है, आशचर्य होता है कि सबकुछ जानते हुये भी लोग अवैधानिक कार्य को प्राथमिकता देते हैं यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों पर भी लागू होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपनी ही विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को केन्द्र एवं राज्य सरकार से पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसके लिये विधिवत राज्य सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी किया जा चुका है परन्तु हमारे बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो बार–बार चेतावनी देने के बाद भी अन्य विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने में लिप्त हैं, जो किसी भी तरह उचित नहीं है।

राज्य सरकारें भी समस–समय पर चिकित्सकों को इस बारे में सूचित करती रहती है कि वे अपनी विधा में ही चिकित्सा व्यवसाय करें, यदि चिकित्सक इस बात का उल्लंघन करता है तो वह चिकित्सक झोला–छाप चिकित्सक की श्रेणी में स्वंय आता है और प्रदेश में किसी भी झोला छाप चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, झोला छाप चिकित्सक यदि जाँच में पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रविधान है, स्वास्थ्य का सम्बंध सीधे जीवन से जुड़े होने के कारण चिकित्सकों की जाँच पड़ताल का मामला समय–समय पर वर्षों से चला आ रहा है अतः यह कोई नई बात नहीं है, यदि आप अपने व्यवसाय में सही हैं तो डरना किस बात का आराम से निडर होकर अपना व्यवसाय करें, आपका कुछ नहीं होगा।

लगभग 10 वर्षों पूर्व यानी फरवरी, 2017 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रकरण आई0 डी0 सी0 के सामने प्रस्तुत हुआ इन दस वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ तमाम उतार चढ़ाव प्रकाश में आये इस अवधि में कभी **IDC** इलेक्ट्रो होम्योपैथी के **Prposalist** पर भारी दिखी तो कभी **Prposalist** **IDC** पर भारी पड़ते नजर आये, हमने सदैव निष्पक्ष की भूमिका निभायी है, पाठकों को समय–समय पर **IDC** के प्रश्न एवं प्रपोज़लिस्टों के उत्तर भी प्रकाशित कर वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया है।

Proposalist व **IDC** के बीच चूहे बिल्ली का खेल काफ़ी समय तक चला अब **IDC** ने एक नया पैतरा ढूँढ़ लिया है अब **IDC** की नज़र इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों व उससे सम्बद्ध कालेजों पर आकर रुक गयी है किस संस्थान से सम्बद्ध कितने कालेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं ? उनका **infrastructure** क्या है, क्या कालेज वास्तव में न्यूनतम मानक पूरे कर रहा है, छात्रों से जो शुल्क लिया जा रहा है क्या उसके अनुरुप गुणवत्ता युक्त उसे शिक्षा मिल रही है आदि आदि।

चूँकि बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 प्रदेश का पहला संस्थान है जो अपने स्थापित वर्ष से ही सरकार के साथ सदैव स्थापित रुप से खड़ा रहा और समय–समय पर मांगे गये प्रपत्रों को उपलब्ध कराता रहा है और जब सरकार ने प्रदेश में स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों से अवेदन प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा तो उस समय केवल बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एक मात्र ऐसी संस्था थी जिसने आवेदन के साथ मांगे गये समस्त दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किये, फलतः वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड आफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को शसनादेश जारी किया गया, यह पहला और अंतिम शासनादेश है जो बोर्ड के लिये जारी किया गया, चूँकि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को पहले ही शासनादेश जारी हो चुका है अतः बोर्ड ने कोई भी प्रत्यावेदन **IDC** को नहीं दिया और न ही कोई इसकी आवश्यकता थी बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुरुप सारा कार्य कर रहा है।

वैसे **IDC** इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विरोधी नहीं है और वह स्वयं भी चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये वे कुछ अच्छा करे जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भाँति सारी सुविधायें मिलें जिससे इनके चिकित्सक भी गर्व से अपना जीवनयापन कर सकें और इस मामले का शीघ्र पटाक्षेप हो जाये।

- ✓ बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने तड़ा–तड़ी बुलाई बैठक
- ✓ खंगाले जा रहे हैं कोर्स और पाठ्यक्रमों के अधार पर फैकलटी
- ✓ अपनी पद्धति से करें प्रैक्टिस की दी जा रही है दुहाई
- ✓ चिकित्सक हैं कि मानते नहीं, हर वर्ष दर्ज होते हैं केस
- ✓ बदनामी होती है सो अलग मर्यादा होती है तार–तार
- ✓ **I. D. C.** चाहती है, मामले का शीघ्र हो पटाक्षेप
- ✓ शीर्ष संस्थान नहीं प्रस्तुत करते अपने दस्तावेज़
- ✓ बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को पहले ही जारी हो चुका है शासनादेश अतः **I. D. C.** को नहीं दिया कोई भी प्रतिवेदन

आवश्यक सूचना

मार्च 2026 में G.E.H.S. Final *के उत्तीर्ण छात्र* intern ship *हेतु अपना* Internee Registration *बोर्ड से शीघ्र करायें।* *रजिस्ट्रर*

बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रायः यह देखा गया है कि यदि किसी एक को कोई एक अच्छा आदेश प्राप्त हो जाता है तो हमारे साथी उसी तरह का आदेश पाने के प्रयास में जी जान से लग जाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जो आदेश जिसे प्राप्त हुआ है वह उसे किन परिस्थतियों में एवं किन कारणों से मिला है यदि इस विषय पर तनिक भी विचार कर लें तो सम्भव है कि उन्हें भी कुछ राहत अवश्य मिले परन्तु आज के युग में न तो किसी को इतना इन्तेज़ार है और न ही संयम, फलस्वरुप सदैव कुछ न कुछ कर गुज़रने की इच्छा में कुछ ऐसा कर गुज़रते हैं जो स्वयं के साथ–साथ समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथों के लिये घातक हो जाती है, दूसरा तथ्य यह भी समझना चाहिये कि आदेश बदलने में भी देर नहीं लगता है न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन सरकारें ही करती हैं एवं जब तक आदेश क्रियान्वित नहीं होते हैं तब तक उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं होता है।

थोड़े से अतीत में जाईये आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व 18 नवम्बर, 1998 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किये जिसमें आदेश के साथ–साथ केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी जारी किया था कि 18 नवम्बर, 1998 के इस आदेश को अपने–अपने स्तर से अपने प्रदेशों में लागू कर क्रियान्वित करें, लगभग 28 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं किसी भी राज्य सरकार ने इस आदेश को लागू करने में (उ0प्र0 को छोड़कर) कोई रुचि नहीं दिखायी यदि किसी भी राज्य ने इस आदेश का अनुपालन कर दिया होता तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति बहुत भिन्न होती, एक हम ही नहीं सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों का भोगा हुआ अनुभव है अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, पाठकों को याद होगा कि जब सरकार इस आदेश के लिये सुप्रीम कोर्ट गयी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2000 में आदेश की यथास्थिति बनाये रखी, लगभग 26 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी हो गया है।

यह हम सभी बख़ूबी जानते हैं यह दोनों उदाहरण हर समय हमारे साथियों को अपने दिमांग़ में रखना चाहिये कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है।

अब समय आ गया है कि एक दो सरकारें नहीं अपितु पूरे देश की राज्य सरकारें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाने को विवश हो जायें यह कोई दिव्य स्वप्न नहीं है, सब कुछ हमारे, आपके, सबके प्रयासों से सम्भव हो सकता है।

हम जिस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के अनुयायी हैं वह अपने आप में पूर्ण है उसकी पूर्णता में कोई सन्देह नहीं है, जब–जब कोई सन्देह जन्म लेता है तब–तब उसके पीछे हमारी ही सोच होती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूर्णता एवं वैज्ञानिकता में कोई सन्देह नहीं है इसलिये हम अपने मन की संकीर्णता से ऊपर उठकर केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये चिन्तन करें और यथा सम्भव इस चिन्तन को कार्य रुप में भी परिवर्तित कर दें, धीरे–धीरे स्थितियां सामान्य होनें लगेंगी, आज जो यह प्रश्न उठ रहा है कि आपके प्रसन्न होने की वजह क्या है ? तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देगा हमारी प्रसन्नता दूसरे के कन्धों पर नहीं अपितु अपने कार्यों पर होनी चाहिये, किसी दूसरी पद्धति का सहारा लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रुप से हम उस पद्धति का विकास कर रहे हैं जिसकी सहायता हम परोक्ष रुप से ले रहे हैं।

जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने आप में स्वयं सक्षम है तो हम किसी अन्य के पिछलग्गू क्यों बनें ? स्वयं में आत्म विश्वास को जन्म दें और अपनी राह स्वयं बनायें, जिस चमत्कार के पीछे हम सब लालायित हैं और उसे पाने के लिये उसी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं हमें उससे बाहर निकलना है और उस बाधा को पार करना है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं इन बाधाओं को दूर करना अब कोई कठिन काम नहीं बचा है, साधन और शासन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है हमें सिर्फ़ काम करते हुये अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है और वास्तविक प्रसन्नता की वह राह स्वयं तैयार करनी है तभी प्रसन्न होने का सुअवसर है।

Electro Homoeopathic Medical Association of India

(An Organization of Electro Homoeopathic Practitioners & Institutions)

Recipient of ORDER NO C.30011/22/2010-HR
Government of India, Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health Research

Head Office: 127/204 "S" Juhi, KANPUR-208014

Adm.Office: 8-Lal Bagh, Lucknow-226001 E-mail : ehmaik@gmail.com

भ्रामक समाचारों से सावधान कुछ भी करने से पहले

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक-मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया {E.H.M.A.I.} से वास्तविकता अवश्य जान लें

EH Dr. अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक नाम के साथ लिखने का उन्हीं को अधिकार है जो भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 05 मई, 2010 तथा 21 जून, 2011 से आच्छादित संस्थाओं द्वारा प्रमाण–पत्र धारक हैं।

माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बंध में जारी आदेश आज की तिथि तक यथा स्थिति में है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा आदेश प्राप्त एक मात्र संगठन
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल ऐसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (E.H.M.A.I.) द्वारा जनहित में जारी

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबंध कमेटी की बैठक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्पन्न

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 विगत 51 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में अबाध रुप से अपनी सेवायें चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी को न सिर्फ़ आगे बढ़ा रहा है अपितु अपनी कार्य शैली के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के सुव्यवस्थित एवं नियमित शिक्षण हेतु बोर्ड द्वारा प्रदेश के अनेक जनपदों में शिक्षण हेतु संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से अनेकों कायक्रमों के साथ–साथ नये (फ्रेशर्स) को भी उचित शैक्षिणिक गुणवत्ता के साथ साथ चिकित्सा जगत में जहां एक ओर चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां असाध्य रोगों के उपचार हेतु प्रचलन में हैं वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां भी साध्य एवं असाध्य रोगों के उपचार हेतु आरोग्य प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर रहा है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अपना 51वां स्थापना दिवस समारोह 24 अप्रैल, 2026 बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय कानपुर में आयेाजित कर चुका है।

बोर्ड के प्रबन्ध कमेटी की बैठक होटल एलोरा लालबाग लखनऊ में दिनांक 6 मई, 2026 को आयोजित की गई थी बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यो के अतिरिक्त कुछ विशिष्ठ चिकित्सकों को भी विशेष रुप से आमंत्रित किया गया था, जिसमें इहमाई के संयुक्त सचिव डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा, महाराजगंज के प्रधानाचार्य डा0 प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, फिरोज़बाद के प्रधानाचार्य डा0 शिव कुमार पाल, अवध इलेक्ट्रो होम्यापैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखनऊ के प्रधानाचार्य डा0 आसुतोष कपूर, लखनऊ से ही डा0 पी0 आर0 धूसिया आदि प्रमुख थे।

बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक जो 28 जनवरी, 2026 को आयोजित की गयी थी उस बैठक की कार्यवाही पढ़कर डा0 अतीक अहमद द्वारा सुनायी गयी, 6 मई की बैठक में जो प्रमुख बिन्दु थें वे क्रमशः

1) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2025 जो होम्योपैथी के वरिष्ठ लोगों को सम्बोधित है पर चर्चा।

2) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 06 मार्च, 2026 जो डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया को सम्बोधित है।

3) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के जारी होने से पूर्व एवं उपरान्त की स्थिति पर विचार।

4) बोर्ड की प्रबन्ध कमेटी के चुनाव एवं बजट पर विचार।

5) अन्य विषय आदि आदि।

झलकियाँ

- बैठक से पूर्व माननियों ने बुके एवं माला पहनाकर चेयरमैन का किया स्वागत
- खास बात– बैठक में बोर्ड के रजिस्ट्रार, पूर्व रजिस्ट्रार भी हुये शामिल
- कई माननियों में लगी माला पहनाने की होड़
- बोर्ड के प्रबन्ध कमेटी की बैठक में इहमाई के संयुक्त सचिव विशेष आमंत्रित के रुप में देखे गये
- होटल एलोरा लालबाग में बैठक का हुआ आयोजन

बायें से दायें डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा डा0 आसुतोश कपूर को माल्यार्पण करते हुये, डा0 आर0 के0 शर्मा डा0 धूसिया को माल्यार्पण करते हुये तथा डा0 अयाज़ अहमद मऊ, उहापोह में किसके गले में माला पहनायें सम्भवतः यही सोच में हैं।

बायें से दायें डा0 आर0 के0 शर्मा लखीमपुर ने चेयरमैन को माला पहना कर बुके भेट करते हुये, चेयरमैन के ठीक बगल में रजिस्ट्रार श्री संजय द्विवेदी बगल में डा0 पी0 आर0 धूसिया पूर्व रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद को माल्यार्पण करने का प्रायास करते हुये , वह इस कार्य में सफल भी हुये – छाया गज़ट

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2025 जो होम्योपैथी के वरिष्ठ लोगो को सम्बोधित है पर चर्चा होना इसलिये आवश्यक था क्योंकि इसका भूत फिर से लोगों ने सोशल मीडिया पर जगा रखा है, इस पत्र में मांग की गयी थी कि होम्योपैथी शब्द को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हटाया जाये, इस विषय पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा बताया गया कि **Law department** की ***openion*** ने वर्ष 1984 में ही निर्णय कर दिया है कि होम्योपैथी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई सम्बन्ध नहीं है, होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 हैनिमन हैं जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी हैं इसकी फिलॉसफी होम्योपैथी से भिन्न है, इसके बनाने की विधि से लेकर उपचार की विधि तक भिन्न है, डा0 इदरीसी ने आगे बताया कि वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 1994 तक हमने शासन से खूब लिखा पढ़ी की और अन्त में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विजय मिली, यह पत्र बहुत पुराना है दूसरा इस पत्र का कोई औचित्य नहीं है यह मामला बहुत पहले ही निस्तारित हो चुका है, लोगों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह पत्र सोशल मीडिया पर डाला है इसे शरारत ही समझें।

दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा के के मध्य ही डा0 इदरीसी ने बताया कि यह सत्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राज्य सरकार ने कोई मान्यता प्रदान नहीं की है परन्तु 04 जनवरी, 2012 को उ0प्र0 सरकार ने केवल बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को शासनादेश जारी किया है जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन एवं अनुसंधान आदि की अनुमति प्रदान की है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो

शेष अंतिम पेज पर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबंध कमेटी की बैठक ..... पेज 3 से आगे

होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध समस्त शिक्षण संस्थान, चिकित्सकों को इसका पूर्ण लाभ मिल रहा है बोर्ड अपने सारे क्रिया कलाप केन्द्र सरकार /राज्य सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये पृथक कानून बनाये जिसमें ***Minimum Standard, Minimum Qualification, Prefix doctor*** का उल्लेख हो वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बंधित संस्था प्रमुखों को भी कड़े शब्दो में कहा है कि कोई भी संस्था डिग्री/डिपलोमा जारी नहीं करे, चेयरमैन महोदय ने उपस्थित माननियो को अवगत कराया कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सारे आदेशों का पालन करती है और अपने क्रिया कलापों से समय समय पर सरकारों को अवगत भी कराती रहती है।

वर्तमान कमेटी का कार्यकाल मार्च में पूर्ण हो चुका है बड़े ही खेद के साथ कहना है कि इस कमेटी के अधीन जो उप कमेटियां जैसे परीक्षा, शिक्षा, चिकित्सा थीं उन्होनें अपने पूरे कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं किया, वर्तमान कमेटी का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है अब या तो कंट्रोलर बैठाया जाय अथवा चुनाव कराया जाये इसपर सर्व सम्मति से तय हुआ कि शीघ्रता शीघ्र चुनाव करा लिया जाये नई कमेटी ही बजट पारित करेगी।

अन्त में कोई प्रस्ताव न होने के कारण बैठक की समापति की घोषणा सभापति द्वारा की गयी।

प्रबन्ध कमेटी के उपस्थित सदस्यों को पिछली बैठक की कार्यवाही सुना कर पुष्टि की गयी बैठक में पूर्व रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद अगले प्रस्ताव को पटल पर लाने के लिये माननियों को सम्बोधित करते हुये — छाया गज़ट

प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों ने एक दूसरे को माला पहनाने की होड़ में बाज़ी मार गये लखनऊ के डा0 आसुतोश कपूर उन्होंने माला लिये और झट से हमीर से आये डा0 नरेन्द्र भूषण निगम को माला पहना दी इस अवसर पर कुछ सदस्य माला लिये इन्तेज़ार ही कर रहे है और कुछ इस फ़िराक में कि कोई माननीय आ जाये तो काम बन जाये — छाया गज़ट

प्रबन्ध कमेटी के सदस्य **Dr. P.N. Kushwaha** का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुये **Dr. M.K. Mishra** संयुक्त सचिव **E.H.M.A.I.** — छाया गजट

प्रबन्ध कमेटी के सदस्य Dr. R. K. Sharma ने पूर्व रजिस्ट्रार Dr. Ateeq Ahmad का सम्मान माला पहना कर किया एवं वर्तमान रजिस्ट्रार श्री संजय द्विवेदी कुछ इस प्रकार बधई देते हुये — छाया गजट

लखीमपुर से आये हुये प्रबन्ध कमेटी के सदस्य Dr. R. K. Sharma के सुपुत्र श्री उत्कर्ष शर्मा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी को माल्यार्पण करते हुये — छाया गजट

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।